

## थाना कोतवाली

### ग्राम ककरहटा में चुनाव के दौरान उपद्रव फैलाने वाले 10 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग-अलग टीम गठित कर अपराध/ अपराधियों की धर पकड़ करने हेतु तथा ग्राम ककरहटा में उपद्रव फैलाने वालों की गिरफ्तारी हेतु भ्रमणशील रहकर सन्दिग्ध व्यक्ति / वाहनों की चेकिंग की जा रही थी जिसके क्रम में –

उ०नि० अनिल कुमार मिश्र मय हमराह आरक्षी बिन्देश गौड़ , इन्द्रजीत चौधरी के दौरान दिनांक- 19.04.2021 को हो रहे क्षेत्र में पंचायत चुनाव के मद्देनजर भ्रमणशील थे कि दौरान भ्रमण जैसे ककरहटा गाँव में प्रवेश किये कि फायरिंग जैसी आवाज सुनाई पड़ी कि फायर की आवाज को गम्भीरता से लेते हुए कोतवाली क्षेत्र में वास्ते शान्ति व्यवस्था हो रहे पंचायत चुनाव के मद्देनजर भ्रमणशील समस्त अधिकारीगण को सूचना करते हुए उक्त गाँव के मतदान केन्द्र की तरफ बढ़े कि मतदान केन्द्र से लगभग 200 मीटर काफी संख्या में मोटरसाइकिलें व गाँव के लोगों का हल्ला हुआ एक दूसरे से गाली गुप्ता व हाथ में लिए असलहों से एक दूसरे को फायर कर रहे हैं और खड़ी मोटरसाइकिलों को ईट पत्थर लाठी डण्डा से तोड़ फोड़ रहे हैं। मौके पर आ जा रही कारों को भी बुरी तरह बड़े-बड़े पत्थर व लाठी डण्डा व हाकी से मार कर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर समझाया बुझाया जा रहा था कि उसी समय प्र०नि० कोतवाली मय हमराह फोर्स, कलस्टर मोबाइल के प्रभारी उ०नि० विनय दूबे मय हमराह फोर्स, उ०नि० शिव कुमार कुशवाहा भी मय हमराह आरक्षीगण मौके पर आ गये और इनके द्वारा भी उपद्रवियों को मना किया गया किन्तु नहीं माने। इनके इस बेजा हरकत से गाँव से आ रहे मतदाता पुनः उल्टी दिशा में लौटकर अपने घरों व इधर ऊधर गिर पड़कर भागने लगे और इतना ही नहीं मौके पर सुचारु रूप से चल रहे चुनाव सम्बन्धित मतदाताकर्मी बूथ से बाहर निकलकर देखने लगे। इस घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 121/21 धारा 147,148,149,336,504,506,307,427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट का मुकदमा बनाम 1. शफकत पुत्र रफीक अहमद 2. मो० अनस पुत्र अल्ताफ अहमद 3. वारिश पुत्र अलीम 4. सैफ पुत्र रफीक 5. मो० जावेद पुत्र शेख मुख्तार 6. मो० कैफी पुत्र सदरेयार 7. मो० अरसी पुत्र सदरेयार 8. मो० शाकिब पुत्र आफताब आलम 9. राफे पुत्र मो० रईस 10. मन्नान पुत्र स्व० एहरार 11. अजमल पुत्र एहरार 12. आमिर पुत्र नासिर 13. अब्दुल्ला पुत्र शाह आलम 14. अब्दुल शमद उर्फ वसीम पुत्र वसीम 15. आकिब पुत्र अकमल 16. सुफियान 17. फैजान 18. डा० जुबेर 19. इन्तेखाप व 20-25 अन्य अज्ञात व्यक्ति निवासीगण ग्राम ककरहटा थाना कोतवाली आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। मौके से 06 अदद फायरशुदा खोखा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तों में से 10 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

### पंजीकृत अभियोग का विवरण—

मु०अ०सं० – 121/21 धारा 147,148,149,336,504,506,307,427 भादवि व 7 सीएलए एक्टथाना कोतवाली आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. शफकत पुत्र स्व० रफीक 2. मो० अनस पुत्र अल्ताफ अहमद 3. वारिश पुत्र अलीम 4. सैफ पुत्र स्व० रफीक 5. मो० जावेद पुत्र शेख मुख्तार 6. मो० कैफी पुत्र मो० शहरेयार 7. मो० शाकिब पुत्र आफताब आलम 8. राफे पुत्र मो० रईश 9. आकिब पुत्र अकमल 10. मो० अरसी पुत्र शहरेयार निवासीगण ककरहटा थाना कोतवाली आजमगढ़

## थाना निजामबाद

### जालसाजी कर धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा जालसाजी, ठगी, करने वालो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व उ०नि० रीहमुद्दीन मय हमराहीयान के शान्ति व्यवस्था ड्यूटी करते हुए सेन्टरवा बाजार में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिला कि एक व्यक्ति लाहीडीह बाजार स्थित गुफरान अहमद निवासी तोवा के कटरा में स्थित आन स्टूडियों में मो० जिशान S/O गुफरान अहमद निवासी तोवा फर्जी कूटरचित आधार कार्ड लैपटाप व प्रिन्टर मशीन इलेक्ट्रानिक के जरिये बनाकर लोगों को चोरी छिपे दे रहा है की इस सूचना से सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण को जरिये उचित माध्यम अवगत कराते हुए उ०नि० मय हमराह के मौके पर पहुंचकर मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ कर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो उसने अपना नाम मो० जिशान S/O गुफरान अहमद सा० तोवा थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया जमा तलाशी लिया गया तो भिन्न-2 नाम से भिन्न- भिन्न फोटो लगा हुआ कुल 9 आधार कार्ड बरामद हुआ तथा लिमनेशन मशीन के अन्दर एक अदद आधार कार्ड बरामद हुआ तथा मेज के उपर रखे हु ए दो अदद प्रिन्टर मशीन इलेक्ट्रानिक , एक अदद लिमनेशन मशीन , एक अदद लैपटाप , अदद लैपटाप चार्जर , दो अदद लिमनेशन रोल , 7 अदद पासपोर्ट साइज भिन्न-2 फोटो , लिमनेशन फाईल , कार्ड प्लास्टिक 22 अदद, एक अदद माउस बरामद हुआ। बरामद आधार कार्ड के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि मैं लैपटाप तथा प्रिन्टर मशीन इलेक्ट्रानिक के माध्यम आधार कार्ड पर किसी दुसरे व्यक्ति की फोटो , उम्र आदि लिखकर, कूटरचित कर फर्जी आ ई०डी०प्रुफ तैयार करते हैं जिससे उस व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिकता का लाभ तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी लाभ प्राप्त कर सके जिसके एवज में मुझे अच्छा रुपया मिलता है। अभियुक्त उपरोक्त को अपराध का बोध कराते हुए गिरफ्तार कर चालान मा०न्यायालय किया गया।

### पंजीकृत अभियोग –

मु०अ०सं०- 87/21 धारा 66 गघ IT Act व 419,420,467,468,471 IPC थाना निजामाबाद आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त-

मो० जिशान S/O गुफरान अहमद सा० तोवा थाना निजामाबाद आजमगढ़

### बरामदगी-

दो अदद प्रिन्टर मशीन एक अदद लिमनेशन मशीन , एक अदद लैपटाप , एक अदद लैपटाप चार्जर , दो अदद लिमनेशन रोल , 7 अदद पासपोर्ट साइज भिन्न-2 फोटो , 22 अदद लिमनेशन फाईल कार्ड प्लास्टिक के दस अदद आधार कार्ड

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० रहीमुद्दीन थाना निजामाबाद, आमजगढ़
2. का० कृष्ण कुमार यादव थाना निजामाबाद, आमजगढ़

### थाना- बरदह

### हत्या के प्रयास का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद 315 बोर का तमन्चा व 01 अदद कारतूस 315 बरामद

आज दिनांक 21/04/2021 को उ०नि० संजय कुमार सिंह मय हमराह हे०का० योगेन्द्र यादव , का० सौरभ सिंह , का० अनुपम सिंह के मु०अ०सं० 84/21 धारा 147/148/149/323/504/506/352/307 भा.द.वि.व 3/25 शस्त्र अधि० की विवेचना एवं तलाश मुल्जिमान में चौकी ठेकमा से रवाना होकर अभियुक्तगण की तलाश व पतारसी सुरागरसी में कस्बा ठेकमा में ही मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आफताब आलम कहीं जाने की फिराक में ठेकमा बस स्टैंड तिराहे पर खड़ा है और अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा है, सूचना पर विश्वास कर उ०नि० मय फोर्स मय मुखबिर इरनी जाने वाले रास्ते से बस स्टैंड तिराहे की तरफ आ रहा थे तो थोड़ी दूर से मुखबिर ने एक आदमी की तरफ इशारा करके बताया कि तिराहे के कोने पर जो आदमी खड़ा है वही आफताब आलम है और उसके पास असलहा भी है बताकर मुखबिर चला गया तब पुलिस टीम आगे बढ़ी तो सामने खड़ा व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर आजमगढ़ की तरफ पैदल पैदल चलने लगा तब एकदम दौड़कर घेरकर उक्त व्यक्ति को

पुलिस टीम द्वारा समय करीब 09.50 बजे तिराहे से आजमगढ़ की तरफ लगभग 15 कदम की दूरी पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम आफताब आलम पुत्र इकबाल अहमद निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया तथा इसकी जामा तलाशी ली गयी तो एक तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 84/21 धारा 147/148/149/323/504/506/352/307 भा.द.वि व 3/25 शस्त्र अधि0

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

आफताब आलम पुत्र इकबाल अहमद निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़

**बरामदगी-**

01 अदद 315 बोर का तमन्चा व 01 अदद कारतूस 315

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह हे0का0 योगेन्द्र यादव, का0 सौरभ सिंह , का0 अनुपम सिंह

**थाना कन्धरापुर**

**गिरफ्तार 01 नफर वारण्टी/अभियुक्त**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये गिरफ्तारी वारन्टी अभियुक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 21.04.2021 को उ0नि0 घनश्याम सिंह यादव मय हमराह हे0का0 नागेन्द्र प्रताप सिंह के रवानाशुदा रो0आम तारिख इमरोजा से 01 नफर वारन्टी सरवन उर्फ बबलू पुत्र नन्दा उम्र 36 वर्ष सा0 करेन्हुआ थाना कन्धरापुर आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष सम्बन्धित मु 0न0 4975/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी**

सरवन उर्फ बबलू पुत्र नन्दा उम्र 36 वर्ष सा0 करेन्हुआ थाना कन्धरापुर आजमगढ़ ।

**अभियोग**

मु0न0 4975/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम सरवन उर्फ बबलू पुत्र नन्दा उम्र 36 वर्ष सा0 करेन्हुआ थाना कन्धरापुर आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 घनश्याम सिंह यादव थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ ।
2. हे0का0 नागेन्द्र प्रताप सिंह थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

\*नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल कार्यवाही की गयी है।\*

47 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की